संख्या-3488/36-4-94-134/85

प्रेषक,

श्री अतुल चतुर्वेदी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

श्रम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर, 1994

विषय:- प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ०शा०प०सं०-341/शिविर, दिनांक 5 अगस्त, 1994 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भारत सरकार की सहायता से बने श्रमिक आवासों को उनमें रह रहे व्यक्तियों को सौंपे जाने का निर्णय शासनादेश संख्या-2738/36-4-94-16/[illegible] दिनांक 24 सितम्बर, 1994 द्वारा लिया जा चुका है तथा अवैध अध्यासन के विनियमितीकरण की समय सीमा को 31-12-94 तक बढ़ाने जाने के आदेश भी शासनादेश सं०-2994/36-4-94, दिनांक 22-9-94 द्वारा जारी किये जा चुके हैं । श्रमिक बस्तियों की अनधिकृत कब्जेदारी से उत्पन्न समस्याओं के निदान हेतु शासनादेश सं०-233/36-4-1988-134/85, दिनांक 21 जनवरी 1988 तथा शासनादेश सं०-3265/36-4-90-7[illegible]म०आ०[illegible]/89, दिनांक 29 नवम्बर, 1990 द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये जा चुके हैं । इसके बाद भी शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि श्रमिक बस्तियों में रह रहे अध्यासियों से सहायतित/आर्थिक किराया/मानक किराया लेने, अवैध निर्माण, क्षतिपूर्ति वसूली आदि के संबंध में भ्रांतियां है । नमूने के तौर पर क्षतिपूर्ति संबंधी गृह आवंटन की कुछ पत्रावलियों का अवलोकन किया गया जिससे उक्त भ्रांतियों की पुष्टि हुई । इन भ्रांतियों को दूर करने हेतु स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :-

(1) आर्थिक किराया :- शासनादेश सं०-1892/36-आर-33(अ)/69, दिनांक 16 जून, 1973 के प्रस्तर-2(4) में की गई व्यवस्था के अनुसार

केवल 350/- प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कारखाना अधिनियम की धार 2(1) में परिभाषित श्रमिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचार ही पात्र हैं । बाद में शासनादेश संख्या-1409/36-4-33(3)/69 दिनांक 30 मई, 1974 द्वारा शिक्षक, राज्य सहायता प्राप्त स्कूल एवं कालेज के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्राविडेंट फण्ड संगठन के कर्मचारी एवं के कर्मचारियों को भी उक्त प्रयोजन हेतु श्रमिक की श्रेणी में मान लिया गय है । चूंकि अब 350/- प्रतिमाह वेतन पाने वाले कोई भी कर्मचारी नहीं है 350/- प्रतिमाह से अधिक प्राप्त करने वाले उक्त श्रेणी के सभी पात्र श्रमिक जिनका कब्जा दिनांक 31-12-75 या उससे पूर्व है तथा विनियमन की प्र 31-3-79 के पूर्व प्रारम्भ कर दी गयी हो, को ही आधिक्य किराये पर नियमित किया जायेगा । इस तिथि अर्थात 31-12-1975 के बाद अनधिकृ किसी कब्जा प्राप्त करने वाले श्रमिकों का विनियमन केवल मानक किराये पर ही किया जा सकेगा ।

अनधिकृत कब्जेदारी की समस्या के निदान हेतु जारी किये गये शासनादेश संख्या-233/36-4-88-134/85, दिनांक 21 जनवरी, 1988 में गई व्यवस्था के अनुसार यदि सेवायोजन में परिवर्तन के उपरान्त भी अध्या पात्रता श्रेणी में आता है तो अध्यासी के साथ नया एग्रीमेंट करके अध्यास दिया जाये । राजस्व बकाया के मामले में यदि अध्यासी पात्र व्यक्तियों श्रेणी में आता है तो संपूर्ण बका या जमा कर देने पर अध्यासन नियमानुसा नियमित कर दिया जाये तथा मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये । मृतक/सेवानिवृत्त अध्यासियों के मामले में यदि ~~xxxx~~ माता-पिता/पति प पुत्र अथवा पुत्री पात्रता की श्रेणी में आते हों तो आवंटन उनके पक्ष में कर जाये । यदि पात्रता की श्रेणी में नहीं है तो भवन का आवंटन स्टैंडर्ड रेंट कर दिया जाये जिसकी दरें शासनादेश संख्या-3265/36-4-90-7(म0आ0)/ दिनांक 29-11-90 में परिभाषित है ।

(2) मानक किराया :- ऐसे अवैध अध्यासी/किसी किरायेदार जो शास संख्या-3265/36-4-90-7(म0आ0)/69, दिनांक 29-11-90 के अनुसार शासनादेश संख्या-1404/36-4-33(3)/64, दिनांक मई 30, 1974 के द्वारा

-------3-

पात्र घोषित किये गये हैं व जिनका कब्जा 31-12-75 के बाद का है, से एक कमरे वाले गृह का किराया 125 रुपये तथा 2 कमरे वाले गृह का 235/- रु० प्रतिमाह की दर से मानक किराया लिया जायेगा इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 1988 के प्रस्तर-3 में वर्णित व्यक्ति यदि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, तो उनसे मानक किराया लेकर विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

(3) <u>अवैध निर्माण :-</u> (अ) यदि आवंटी ने लघु श्रेणी का अस्थायी निर्माण जैसे चहारदीवारी की ऊँचाई बढ़ाना अथवा टिन शेड इत्यादि भवन स्थल की निर्धारित सीमा में बनाते हैं, ऐसे निर्माण xxxx कार्यों से किसी आवंटी को असुविधा नहीं होती है तो ऐसे मामलों में विभाग को आपत्ति नहीं होगी इस संबंध में शासनादेश संख्या-233/36-4-1988, दिनांक 21 जनवरी, 1988 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

(ब) यदि आवंटी द्वारा भवन स्थल की निर्धारित सीमा में स्थायी प्रकृति के निर्माण कराये गये हैं परन्तु उनसे अन्य आवंटी को असुविधा नहीं होती है ऐसे मामलों में पेनाल्टी/लेवी फीस लेकर कम्पाउन्ड किये जाने के आदेश हैं । पेनाल्टी/लेवी फीस निर्धारण की कार्यवाही के लिए श्रमायुक्त अधिकृत हैं ।

(स) यदि अवैध निर्माण भवन स्थल की निर्धारित सीमा के बाहर अथवा सार्वजनिक भूमि अथवा विभिन्न भवनों के उपयोग हेतु कामनलैंड जैसे सीढ़ियाँ, आने जाने का रास्ता तथा छत आदि हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये । इस प्रकार के अवैध निर्माण को गिरवाने का अधिकार श्रम विभाग को नहीं है । श्रम विभाग ऐसे मामले में आवंटन को निरस्त कर विहित अधिकारी के समक्ष निष्कासन वाद दायर कर सकता है । अनाधिकृत निर्माण या तो नगरपालिकायें/नगर महापालिकाएं गिरवा सकती हैं या उन्हें यू०पी०पब्लिक (प्रेमिसेज एविक्शन आफ अनअथराइज्ड आकुपेन्ट) एक्ट 1972 के अंतर्गत विहित अधिकारी गिरवा सकते हैं ।

(4) <u>क्षतिपूर्ति की वसूली :-</u> जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, क्षतिपूर्ति केवल उन्हीं प्रकरणों में ली जायेगी, जिनमें किरायेदार के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत न्यायालय में कोई वाद दायर किया गया हो । क्षतिपूर्ति एक प्रकार से आउट आफ कोर्ट सेटिलमेंट (Out of Court Settlement.) है और यह केवल किरायेदार की सहमति से ही ली जा सकती है । यदि किरायेदार